



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122020-223559
CG-DL-E-07122020-223559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3878]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2020/अग्रहायण 16, 1942

No. 3878]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2020/AGRAHAYANA 16, 1942

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4418(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम(एनडीडीवी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा वर्तमान पदधारी श्री दिलिप रथ, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति पर, श्रीमती वर्षा जोशी, भा०प्र०से०(एजीएमयूटी :1995), संयुक्त सचिव(डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को 01.12.2020 से 06 महीनों तक अथवा अध्यक्ष पद पर नियमित पदधारी की तैनाती होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1140(अ), दिनांक 06 मार्च, 2019 में संशोधन करती है।

[फा. सं. एम-03018/3/2020-प्रशा.-4-भाग (1)]

दीपक सेठी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का.आ. 210(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसके तत्पश्चात् का.आ. 132(अ) दिनांक 31.3.95, का.आ. 532(अ) दिनांक 6.6.95, का.आ. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का.आ. 386(अ) दिनांक 3.6.9 6, का.आ. 605(अ) दिनांक 2.8.96,

का.आ. 678(अ) दिनांक 12.8.96, का. आ. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का.आ. 836(अ) दिनांक 8.12.97, का.आ. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का.आ. 1005(अ) दिनांक 26.11.98, का.आ. 1202(अ) दिनांक 14.10.2003, का.आ. 2279(अ) दिनांक 25.9.2008, का.आ. 362(अ) दिनांक 06.02.2014, का.आ. 412(अ) दिनांक 11.02.2014, का.आ. 2582(अ) दिनांक 29.07.2016, का.आ. 3589(अ) दिनांक 30.11.2016, का.आ. 5949(अ), दिनांक 03.12.2018 और का.आ. 1140(अ), दिनांक 06 मार्च, 2019 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2020

S.O. 4418(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) and (3) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby entrusts additional charge of the post of Chairman, National Dairy Development Board to Ms. Varsha Joshi, IAS(AGMUT:1995), Joint Secretary(Dairy Development), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying for a period of 06 months w.e.f 01.12.2020, on completion of the tenure of the present incumbent Shri Dilip Rath as Chairman, National Dairy Development Board, or till the regular appointment to the post or until further orders, whichever is earliest and for that purpose makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare (Department of Animal Husbandry & Dairying) S.O. 1140(E) dated 06th March, 2019.

[F. No. M-03018/3/2020-Admin-4-Part (1)]

DEEPAK SETHI, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.O. 210(E) dated 4th March, 1994 and subsequently amended *vide* S.O.132 (E) dated 31.3.95, S.O. 532(E) dated 6.6.95, S.O. 166 (E) dated 3.3.96, S.O.386(E) dated 3.6.96, S.O.605(E) dated 2.8.96, S.O. 678(E) dated 12.8.96, S.O.750(E) dated 13.10.97, S.O. 836(E) dated 8.12.97, S.O. 738(E) dated 28.8.98 S.O. 1005(E) dated 26.11.98, S.O. 1202(E) dated 14.10.2003, S.O.(E) 2279 dated 25.9.2008, S.O. 362(E) dated 06.02.2014, S.O. 412(E) dated 11.02.2014, S.O. 2582(E) dated 29.07.2016, S.O. 3589(E) dated 30.11.2016, S.O. 5949(E) dated 03.12.2018 and S.O. 1140(E) dated 06th March, 2019.